(1)

कार्यवाही का लख्ला (मुकद्दमा का रोजनामचा)

1. तफसील जुर्म और तफसील माल जो गिरफ्तार हुआ 02 नग सैगौन एवं 01 नग साजा से तैयार कुर्सी मात्रा 230 मी0

2. मुल्जिमों का नाम वल्दियत व सकुनत (राकेश आ0 परमानन्द साहू ग्राम [illegible]

3. तारीख वक़ुआ जुर्म .... (4) पता लगाने वाले आफिसर का नाम [illegible]

5. पता लाने वाले की तारीख व वक्त .... (6) इब्तदाई रिपोर्ट का नम्बर और उसकी रवानगी की तारीख और वक्त ....

7. इब्तदाई रिपोर्ट की तारीख और वक्त 4326/21 08/04/2017

तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त	मुकाम	तहकीकात करने वाले आफिसर का कार्यवाही का खुलासा टीप–हर एक इन्द्राज पर तहकीकात करने वाले आफिसर को दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बन्द करने का वक्त दर्ज करना चाहिये	हुक्म पाने वाले दस्तखत मय तारीख
1	2	3	4
10/04/17	बस्तर	उक्त प्रकरण को परिसर रक्षक [illegible] से आज दिनांक को परि0 कार्यालय में प्राप्त किया।	[signature] वन परिक्षेत्र अधिकारी बस्तर
वन परिक्षेत्र कार्यालय क्र. 471 दिनांक 17/5/17 बस्तर		कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र बस्तर कमांक/ BTR 398 दिनांक 11/04/17 प0 स0 बस्तर उक्त प्रकरण को तत्काल जांच कर इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।	[signature] वन परिक्षेत्र अधिकारी बस्तर

तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त	मुकाम	तहकीकात करने वाले आफिसर का कार्यवाही का खुलासा टीप–हर एक इन्द्राज पर तहकीकात करने वाले आफिसर को दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बन्द करने का वक्त दर्ज करना चाहिये	हुक्म पाने वाले दस्तखत मय तारीख
1	2	3	4
11/4/2017	बस्तर	आज दिनांक को प्रकरण क्र. P.O.R. No. 4326/21 दिनांक 8/4/2017 को जांच हेतु प्राप्त किया। [signature] परिक्षेत्र सहायक बस्तर	
13/4/2017	बस्तर	आज दिनांक को गवाहों का बयान दर्ज किया। [signature] परिक्षेत्र सहायक बस्तर	
14/4/2017	बस्तर	आज दिनांक को व.र. का बयान दर्ज किया। [signature] परिक्षेत्र सहायक बस्तर	
2/5/2017	बस्तर	आज दिनांक को अपराधी का बयान दर्ज किया। [signature] परिक्षेत्र सहायक बस्तर	
16/5/2017	बस्तर	प्रकरण जांच पूर्ण कर परि०कार्या मे जमा किया। [signature] परिक्षेत्र सहायक बस्तर	

IX - (a) -- 2
For. Hindi

(भाग दूसरा)

मोहक्मा जंगल, छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रं. 4326 पृष्ठ 21

बकुआ जुर्म की अव्वल रिपोर्ट

1. नम्बर रिपोर्ट 4326/21 तारीख माह 8/4/ सन् 2017 ई.

2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत जियो रिलायंस कम्पनी राकेश/परमानन्द साहु निवासी दुर्ग

3. किस्म जुर्म अवैध रूप से नाली खुदाई 230 मी. लम्बाई (धारा 33 (1) ग) भा. व. अधि. 1927 कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 कि धारा 2 (2)

4. जगह जहां जुर्म वाके हुआ 1428 P

5. तारीख बकुआ जुर्म 8/4/2017

6. तफसील जप्त शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई. 2 नग गेंती फावड़ा जप्त

7. नाम गवाहान ① लखमु/फोरक्षा ग्राम भोण्ड ② गणेश/सोनसिंग ग्राम बालेंगा

दूसरा भाग रेंज असिस्टेन्ट साहब बस्तर सर्किल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब बस्तर रेंज को भेजा गया

धनसिंह

मुकाम बालेंगा दस्तखत फारेस्ट गार्ड

तारीख 8/4/2017 नाका बालेंगा

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

GRPRJ—FS/247—12/2000—5,000 Bks. of 25 lvs.

B-R/35 10/04/17

IX - (a) -- 2
For. Hindi

(भाग तीसरा)

मोहक्मा जंगल, छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रं. 4326 पृष्ठ 21

बकुआ जुर्म की अव्वल रिपोर्ट

1. नम्बर रिपोर्ट 4326/21 तारीख माह 8/4/ सन् 2017 ई.

2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत जियो रिलायंस कम्पनी राकेश/परमानन्द साहु निवासी दुर्ग

3. किस्म जुर्म अवैध रूप से नाली खुदाई 230 मी. लम्बाई (धारा 33 (1) ग) भा. व. अधि. 1927 कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 कि धारा 2 (2)

4. जगह जहां जुर्म वाके हुआ 1428 P

5. तारीख बकुआ जुर्म 8/4/2017

6. तफसील जप्त शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई. 2 नग गेंती फावड़ा जप्त

7. नाम गवाहान ① लखमु/फोरक्षा ग्राम भोण्ड ② गणेश/सोनसिंग ग्राम बालेंगा

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब बस्तर रेंज को भेजा गया

धनसिंह

मुकाम बालेंगा दस्तखत फारेस्ट गार्ड

तारीख 8/4/2017 नाका बालेंगा

Submitted to the D.F.O. .... Division

Range Officer ....

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

GRPRJ—FS/247—12/2000—5,000 Bks. of 25 lvs.

37

(भाग तीसरा)

मोहक्मा जंगल, छत्तीसगढ़

सुपुर्दनामा

लिख देने वाला मैं धनसिंह ठाकुर वल्द .... लाखनू ...... जाति धाकड़ .... पेशा नौकरी साकिन बालेगा पालाघाट तहसील बालाघाट जिला बालाघाट का हूँ.

जो कि जंगल आफिसर .... ने तफसील माल नीचे लिखे मुताबिक जेर दफा 52 इंडियन फारेस्ट एक्ट सन् 1927 ई. के जप्त किया है, वो मेरे सुपुर्द आज तारीख .... सन् 200   ई. को किया है. मैं इस करारनामे के बमूजिब उस माल को अपने ताबे में लेकर इकरार करता हूँ कि उसकी पूरी हिफाजत कर जब कोई आफिसर जंगल तलब करे फौरन पेश करूंगा.

2 नग गैती 1 नग रापा

तफसील माल सपुर्दशुदा

तारीख .... माह .... सन 200   ई.

धनसिंह

दस्तखत या निशान बायां अंगूठा सुपुर्ददार का.

नाम गवाह जिसके रूबरू सुपुर्द किया गया :-

(1) लखमू / लोकर निवासी भोंड लखमू

(2) राजेश / सोमसिंह निवासी बालेगा गणेश

(भाग दूसरा)

मोहक्मा जंगल, छत्तीसगढ़

सुपुर्दनामा

लिख देने वाला मैं धनसिंह ठाकुर वल्द .... लाखनू .... जाति धाकड़ .... पेशा नौकरी साकिन बालेगा पालाघाट तहसील बालाघाट जिला बालाघाट का हूँ.

जो कि जंगल आफिसर .... ने तफसील माल नीचे लिखे मुताबिक जेर दफा 52 इंडियन फारेस्ट एक्ट सन् 1927 ई. के जप्त किया है, वो मेरे सुपुर्द आज तारीख .... सन् 200   ई. को किया है. मैं इस करारनामे के बमूजिब उस माल को अपने ताबे में लेकर इकरार करता हूँ कि उसकी पूरी हिफाजत कर जब कोई आफिसर जंगल तलब करे फौरन पेश करूंगा.

2 नग गैती 1 नग रापा

तफसील माल सपुर्दशुदा

तारीख .... माह .... सन 200   ई.

धनसिंह

दस्तखत या निशान बायां अंगूठा सुपुर्ददार का.

नाम गवाह जिसके रूबरू सुपुर्द किया गया :-

(1) लखमू / लोकर निवासी भोंड लखमू

(2) राजेश / सोमसिंह निवासी बालेगा गणेश

वन विभाग, छत्तीसगढ

जप्तीनामा फार्म

(भारतीय वन विधान 1927 की धारा 52 के अन्तर्गत)

नाका (1)	जप्ती का स्थान (2)	जिसके पास से जप्त किया (3)	जप्तशुदा माल का विवरण (4)	जप्त करने वाले अधिकारी का नाम (5)	चिन्ह जो जप्त की गई सम्पत्ति पर अंकित किया गया (6)	जिस व्यक्ति के पास से जप्त किया उसके हस्ताक्षर (7)	विशेष विवर (8)
बालोंगा	कक्ष क्र 1428 P	जियो कियायत्यु कम्पनी श्रीशकेश/प्रेमानन्द साहू जाति-तेली ग्राम-दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)	अवैध रूप से नाली खोदाई कार्य 230 मीटर खोदाई क्र. लं० गहराई चौ० ① 125 मी×0.80मी×1.40मी = 140.00 ② 105 मी×0.80मी×1.40मी = 117.60 योग-230 मी० क्षेत्र 257.60 घ०मी० 2 गैंती 1 रापा	श्री धनसिंह ठाकुर व०र० परिसर रक्षक बालोंगा		[signature]	राष्ट्रीय राजमार्ग जगदलपुर-रायपुर मार्ग 44 के किलोमीटर में कस्टर कोसारटेडा के पास मार्ग से 40 मीटर जंगल के अंदर खुदाई करना

साक्षी एवं उनका पूरा पता

1. लखमु / कोटवा ग्राम भोंड — लखमु
2. गणेश / सोनसिंह ग्राम बालोंगा — गणेश

आर 35
10/04/17
2000 (2)
प्र० (32)

धनसिंह

जप्त करने वाले आफिसर के हस्ता.
धनसिंह ठाकुर व०र०
परिसर रक्षक बालोंगा

मौका पंचनामा (A)

हम नीचे हस्ताक्षर कर्ता सच्च सच्च बयान करते है कि दिनांक 8/4/2017 को प्रातः 7.30 बजे परिसर रक्षक बालेंगा के साथ भ्रमण पर थे / तो कक्ष क्रमांक 1428 P मे नाली खुदाई किया दिखा आसपास पता किया तब जियो रिलायन्स कम्पनी द्वारा रोड किनारे केबल लाईन बिछाने रात्री मे खुदाई किया गया था। मौके पर मुंशी श्री राकेश पिता परमानन्द साहु ग्राम-दुर्ग, जिला दुर्ग उपस्थित थे। उनके पास से 2 गैंती 1 रापा जप्त किया गया। परिसर रक्षक द्वारा नाली का नाप जोख कर जप्तिनामा बनाया एवं मौका पंचनामा तैयार कर P.O.R.क्र.4326/21 दिनांक 8/4/2017 को जारी किया गया। नाली खुदाई कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 मी० की दुरी पर किया गया है। जिसकी लम्बाई 230 मी० है। पंचनामा पढ़कर सुनाया गया पश्चात हस्ताक्षर किया गया।
यही हमारा सच्च सच्च बयान है।

(1) लखमु / फोटका ग्राम-भोंड - लखमु

(2) गणेश / सोनसिंग ग्राम-बालेंगा - गणेश

(3) सुखराम / समुन्द ग्राम-बागबहर सुखराममौर्य

(4) गोविन्द / दामु ग्राम-बागबहार

(5) जगबन्धु / दुकालु ग्राम-बागबहार जगबन्धु

मेरे द्वारा पंचनामा दर्ज किया गया।

धनसिंह
(धनसिंह ठाकुर)
व.र.
परिसर रक्षक बालेंगा.

हस्ताक्षर पंचनामा मेरे समक्ष —

गवाह का बयान

(5)

मैं लखमु पिता फोटका ग्राम - भोण्ड आज दिनांक
13/4/2017 को परिक्षेत्र सहायक [illegible] बस्तर के समक्ष
उपस्थित होकर सत्य सत्य बयान करता हु। कि दिनांक 8/4/2017
को परिसर रक्षक बालेंगा के साथ बीट भ्रमण के दौरान प्रातः
7.30 बजे कक्ष क्र. 1428 P में नाली खुदाई किया दिखाई
दिया। आसपास पता करने पर जियो रिलायन्स कम्पनी द्वारा रात्री
में नाली खोदाई किया गया था। केबल लाईन बिछाने हेतु
नाली खोदाई किया गया था। मौके पर मुंशी राकेश / परमानन्द
साहु मौजुद था। उसके पास से 2 गैती 01 रापा जप्ती किया
गया। परिसर रक्षक द्वारा नाली का नापजोख कर जप्तीनामा
तैयार किया गया एवं P.O.R. NO. 4326/21 दिनांक 8/4/2017
को जारी किया गया। नाली की लम्बाई 230 मी. है। एवं
राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 मी० कि दुरी पर है।
यही मेरा बयान है। पढ़कर सुनाया गया पश्चात
हस्ताक्षर किया।

हस्ताक्षर
[signature]
(लखमु / फोटका)
ग्राम - भोण्ड

बयान मेरे द्वारा लिया गया
[signature] 13/4/17
परिक्षेत्र सहायक
बस्तर

गवाह का बयान

(6)

मैं गणेश पिता सोनसिंग ग्राम- बालेंगा आज दिनांक 13/4/2017 को परिक्षेत्र सहायक बस्तर के समक्ष उपस्थित होकर सच सच बयान करता हु कि दिनांक 8/4/2017 को परिसर रक्षक बालेंगा के साथ बीट भ्रमण के दौरान प्रातः 7.30 बजे कक्ष क्र. 1428 P मे नाली खुदाई किया दिखाई दिया। आसपास पता कियालव जियो रिलायन्स कम्पनी द्वारा रात्री मे नाली खुदाई कार्य किया गया था। केबल लाईन बिछाने हेतु नाली खोदाई कार्य किया गया था। मौके पर कम्पनी मुंशी श्री राकेश/परमानन्द साहु मौजुद था। उसके पास से 2 गैंती 01 रापा जप्ती किया गया। परिसर रक्षक द्वारा नाली का नापजोख कर अतिक्रमण तैयार कर P.O.R. द्वारा नाली का नापजोख कर जारी किया गया। नाली क्र. 4326/21 दिनांक 8/4/2017 को जारी किया गया। नाली कि लम्बाई 230 मीटर है। एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 मीटर कि दुरी पर है।

यही मेरा सच सच बयान है] पढ़कर सुनाया गया पश्चात हस्ताक्षर किया गया।

हस्ताक्षर
गणेश
गणेश / सोनसिंह
ग्राम . बालेंगा

बयान मेरे द्वारा लिया गया।

[signature] 13/4/17
परिक्षेत्र सहायक
बस्तर

वनरक्षक का बयान

(7)

मै धनसिंह ठाकुर (व.र.) परिसर रक्षक बालेंगा आज दिनांक 14/4/2017 को परिक्षेत्र सहायक बस्तर के समक्ष उपस्थित होकर सत्य सत्य बयान करता हूं कि दिनांक 8/4/2017 को समिति सदस्यो के साथ बीट भ्रमण के दौरान प्रातः 7.30 बजे कक्ष क्र. 1428 P मे राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.30 से 20 मीटर कि दुरी पर वनक्षेत्र मे अवैध रूप से नाली खुदाई किया गया था। आस पास पता करने पर जियो रिलायन्स कम्पनी द्वारा अवैध रूप से 230 मी. नाली खोदाई कार्य रात्री मे किया गया था। मेरे द्वारा नाली का नापजोख कर जप्तीनामा तैयार किया गया एवं P.O.R. क्र. 4326/21 दिनांक 8/4/2017 को जारी किया। मौके पर कम्पनी कुंवी ~~[illegible]~~ श्री राकेश / परमानन्द साहु ग्राम- दुर्ग जिला- दुर्ग मौजुद थे। उनके पास से 2 गैती 01 रापा जप्त किया गया। यही मेरा सत्य सत्य बयान है पढ़कर सुनाया गया पश्चात हस्ताक्षर किया गया।

हस्ताक्षर

धनसिंह

(धनसिंह ठाकुर)
व.र.
परिसर रक्षक बालेंगा

बयान मेरे द्वारा लिया गया।

[signature] 14/4/17
परिक्षेत्र सहायक
बस्तर

अपराधी का बयान

मै राकेश पिता परमानन्द साहु जाति-तेली ग्राम-दुर्ग जिला-दुर्ग का निवासी हुं। आज दिनांक 2/5/201, को परिक्षेत्र सहायक बस्तर के समक्ष उपस्थित होकर सचसच बयान करता हु कि दिनांक 8/4/2017 को जियो रिलायन्स कम्पनी द्वारा मुझे सौंपे गये कार्य के तहत सड़क किनारे मेरे द्वारा केबल तार बिछाने हेतु नाली खुदाई का कार्य किया गया था। जो वन विभाग के बाउन्ड्री के अन्दर हो गया। मुझे इसकी जानकारी नहीं होने के कारण अज्ञानतावश मेरे द्वारा 230 मी० लम्बी नाली खुदाई कार्य किया गया। मैं अपराध स्वीकार करता हुं। एवं वन विभाग से राजिनामा चाहता हुं। वन विभाग द्वारा जो भी जुर्माना किया जावेगा, उसे पटाने हेतु तैयार हुँ।

यही मेरा बयान है। पढ़कर सुनाया गया पश्चात हस्ताक्षर किया गया।

Rakesh
(राकेश/परमानन्द)

बयान मेरे द्वारा लिया गया।

[signature]

परिक्षेत्र सहायक
बस्तर

Form XI-(a)-97
Form (H)

मोहकमा जंगल

राजीनामा

(9)

जो कि मेरी / हमारी मौजूदगी में की गई तहकीकात के आधार पर

(१) राकेश वल्द परमानन्द साहु जाति तेली साकिन दुर्ग
(२) .... वल्द .... जाति .... साकिन ....
(३) .... वल्द .... जाति .... साकिन ....
(४) .... वल्द .... जाति .... साकिन ....
(५) .... वल्द .... जाति .... साकिन ....

पर जंगल सम्बन्धी जुर्म, याने ....

करने का शक किया जाता है।

और मैं चाहता हूँ / हम चाहते हैं कि इल्जाम लगाए जुर्म का* राजीनामा (बरकरार को लागू किए गए/ हिन्दुस्तानी जंगल सम्बन्धी एक्ट, सन् १९२७ ई. की दफा ६८ की रु. से किया जावे।

इसलिए मैं / हम इस तहरीर की रु. से मुकर्रर की जाने वाली मुद्दत के अन्दर उतनी रकम बतौर मुआवजे के अदा करने का इकरार करता हूँ / करते हैं कि जिनकी तादाद की शख्स रुपये ५००) से ज्यादा न होगी जो कि डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या जंगल मुहकमा के कोई दूसरे आफिसर जिन्हें इस जुर्म राजीनामा करने का अख्तियार दिया गया हो, ठहरावे।

(मैं / हम रकम अदा करने का इकरार करता हूं / करते हैं जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या कोई दूसरे आफिसर, जिन्हें इस बारे में अख्तियार दिया गया हो, कब्जे में ली गई जप्ती के काबिल† जायदाद की कीमत के बतौर अन्दाजा करें।

यह तय हुआ की रकम मजकूर के अदा होने पर मेरे / हमारे* (या जायदाद मजकूर के) खिलाफ और कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

तारीख .... सन् ....ई. शक किए शख्स के दस्तखत या अंगूठे का निशान

दस्तखत गवाह
(१) श्री मनीष झा .... [signature]
(२) श्री शिवनारायण तिवारी [signature]

(१)* [signature]
(२) ....
(३) ....
(४) ....
(५) ....

सर्टिफिकेट तहकीकात कुनिन्दा

मैं तस्दीक करता हूं कि शक किए गए शख्सों ने यह राजीनामा अपनी रजामन्दी मेरे रुबरु पेश किया।

तारीख .... सन् ....ई.

[signature]
दस्तखत आफिसर तहकीकात कुनिन्दा
परिक्षेत्र सहायक
बस्तर

* छत्तीसगढ़ के मुकदमों के सम्बन्ध में कोष्टकों के अन्दर लिए गए शब्द काट दिया जावें।
† अगर कोई जायदाद जब्त न की गई हो तो अन्दर लिखे शब्द काट दिए जावें।
* जिनमें कि सरकारी जंगल के पैदावार शामिल।

(10)

वन विभाग

-: वन अपराध प्रकरण प्रतिवेदन :-

P.O.R. No. 4326/21 दिनांक 8/4/2017

(1) अपराध दिनांक यदि विदित हो

(2) कर्मचारी का नाम जिसने अपराध पकड़ा हो ।अपराधी का पता लगाने का दिनांक — श्री धन सिंह ठाकुर व.र.

(3) अपराध — अवैध रूप से नाली खोदाई कार्य

(4) अपराधी का नाम और पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान — जियो रिलायन्स कम्पनी, मुंबई श्री राकेश पिता परमानन्द साहु ग्राम-दुर्ग

(5) वनोपज एवं अन्य वस्तुओं का विवरण एवं बाजार भाव से उनका मूल्य — अवैध रूप से नाली खोदाई कार्य 230 मी० = 1257.60 घ०मी०

(6) अपराध की प्रवृत्ति भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत दण्डनीय है। — भा० वन. अधि० 1927 कि धारा 33(1) ग एवं भा० वन० अधि० 1980 कि धारा 2(2)

(7) साक्षीगण का नाम तथा पूर्ण पता — (1) लखमु/ फोटका ग्राम - मोण्ड (2) गणेश / सोनसिंह ग्राम- बालेंगा

(8) जप्त शुदा माल को जिसके सुपुर्द किया गया — श्री धनसिंह ठाकुर व.र. (2 गैंती, 01 नगराण)

(9) जांच अधिकारी का नाम तथा पद — मोहन बुराडे, उपवनक्षेत्रपाल

(10) जांच की अवधि — 11/4/2017 से 16/5/2017

(11) अपराधी के कूप अपराधी का विवरण (यदि कोई हो) — -

(12) अपराधी प्रकरण को अभिसंधानित करने की इच्छुक है अथवा नही — हाँ

प्रति,

परिक्षेत्राधिकारी ....बस्तर........

निवेदन है कि यह वन अपराध प्रकरणक्रमांक ....4326/21.... दिनांक....8/4/2017....

वन रक्षक....श्री घनसिंह ठाकुर.... द्वारा ....8/4/2017.... को जारी किया गया है। जिसकी जाँच मेरे द्वारा सूक्ष्मता से की गई है। अपराधी ....जियो रिलायन्स कम्पनी मुंशी राकेश पिता परमानन्द साहू ग्राम-दुर्ग.... ने अपना अपराध स्वीकार करते हूए/ नहीं करते हुए विभाग से फैसला चाहा है/ नहीं चाहा है। अतः मैं प्रकरण को अभिसंधानित हेतु/प्रकरण को न्यायालय में देने हेतु निम्न सिफारिश करता हूँ

उक्त राशि म.र.क्र. 14197/40 दिनांक 22/6/2017 के द्वारा वसूल किया गया।

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र बस्तर
क्रमांक/BTR 555 दिनांक 18/5/2017

वनोपज मूल्य ....21608=00....

क्षति पूर्ति ....10,000=00....

योग 31608=00

वनमण्डलाधिकारी/ उप वनमण्डलाधिकारी बस्तर

(हस्ताक्षर)

प. स. ....परिक्षेत्र सहायक....
बस्तर

निवेदन है कि मैं परिक्षेत्र सहायक की राय से सहमत हूँ/ ~~नहीं हूँ~~ तथा निम्न प्रकरण अभिसंधानित हेतु न्यायालय में चालान हेतु अनुशंसा करता हूँ।

230 र.मी. × 0.80 चौड़ाई ÷ 10,000
= 0.018
+ 0.018

दुगुना = 0.036 हे. × 600222/-

वनोपज मुल्य = 21608=00
क्षतिपूर्ति = 10000=00
योग 31608=00

वनोपज मूल्य ....21608=00....

क्षति पूर्ति ....10000=00....

योग 31608=00

(हस्ताक्षर)

शि.लि.

उपवन मंडलाधिकारी
बस्तर (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्राधिकारी

प्रकरण में वर्णित वनोपज मूल्य इत्यादि चैक कर प्रस्तुत करें।